# भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

## टी०ए० मिस केस सं०–15/2018–19

| ...श की तिथि | आदेश | आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ |
|---|---|---|
| 12.05.2018 | अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि ....6..6..18. को निर्धारित की जाती है।<br>अभिलेख ..6..6..18 को उपस्थापित करें ।<br>12.5.18<br>भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता<br>पोड़ाहाट, चक्रधरपुर। | |
| 06.06.2018 | अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर के पत्रांक 642, दिनांक 02.06.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 02.06.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक (1) **लालचन्द्र प्रमाणिक, (2) नीलचन्द प्रमाणिक, (3) इन्द्रजीत प्रमाणिक**, तीनों का पिता–**स्व0 दशरथ प्रमाणिक**, उर्फ **दशरथ भण्डारी उर्फ दशरथ नापित**, जाति–**हजाम (पिछड़ी)** ग्राम–**कोलचोकरा**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा–**कोलचकरा**, थाना नं0–**67**, खाता नं०–**81**, प्लॉट नं0–**623**, रकवा **0.10** ए0, क्रेता **संगीता बाला महतो**, पति–**श्री हरिशंकर महतो**, जाति–**कुर्मी** (अ०पि०वर्ग०), ग्राम–**लोदोडीह**, पो0–**गोपीनाथपुर**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला प० सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते है। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।<br>जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक **(1) लालचन्द्र प्रमाणिक, (2) नीलचन्द प्रमाणिक, (3) इन्द्रजीत प्रमाणिक**, तीनों का पिता–**स्व0 दशरथ प्रमाणिक**, उर्फ **दशरथ भण्डारी उर्फ दशरथ नापित**, जाति–**हजाम (पिछड़ी)** ग्राम–**कोलचोकरा**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते है। आम इश्तहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आज तक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।<br>बिक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना–**चक्रधरपुर** के निवासी है। विक्रेता जाति **हजाम (अ०पि०वर्ग०)** एवं क्रेता जाति **कुर्मी (अ०पि०वर्ग०)** समुदाय के सदस्य है।<br>विक्रेता उक्त वर्णित भूमि मकान बनाने हेतु बेचना चाहते है। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात विक्रेता को चक्रधरपुर अंचल अंतर्गत रकवा–**1.68.000 ए0** अवशेष भूमि बचता है । साथ ही आवेदक द्वारा **शपथ पत्र सं0–16**, दिनांक **06.06.2018** द्वारा बताया गया है कि उक्त अवशेष भूमि के अतिरिक्त सरायकेला–खरसांवा जिला में भी **1.20 ए0** भूमि आवेदक के पास है। विक्रेता द्वारा उक्त भूमि बिक्री के पश्चात् जीविकोपार्जन हेतु कुल अवशेष भूमि **2.88 ए0** भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, **चक्रधरपुर** द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता **संगीता बाला महतो**, पति–**श्री हरिशंकर महतो**, जाति–**कुर्मी** (अ०पि०वर्ग०), ग्राम–**लोदोडीह**, पो0–**गोपीनाथपुर**, थाना–**चक्रधरपुर**, जिला प० सिंहभूम को उक्त भूमि बेचने की **स्वीकृति** छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए"/"बी" के अन्तर्गत दी जाती है।<br>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।<br>लेखापित<br>6.6.18<br>भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता<br>पोड़ाहाट, चक्रधरपुर<br>6.6.18<br>भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता<br>पोडाहाट, चक्रधरपुर | |